

निर्णय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 94/17 वादपत्र घास 53 आर.टी.एक्ट.

- 1- ईसरार पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान नि. रतनपुर
- 2- ईशाक पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान नि. रतनपुर
- 3- रूबीना पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान नि. रतनपुर
- 4- मु. खेरूननिशा पत्नी फतेह मोहम्मद मुसलमान नि. रतनपुर
- 5- परवीना पुत्री शहजाद खां मुसलमान नि. रतनपुर
- 6- रवीना पुत्री शहजाद खां मुसलमान नि. रतनपुर
- 7- टीना पुत्री शहजाद खां मुसलमान नि. रतनपुर
- 8- जुबेदा पत्नी शहजाद खां मुसलमान नि. रतनपुर

- वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1- चुन्नीलाल पिता शंकर डांगी नि. रतनपुर
- 2- नन्दा पिता नारायण डांगी नि. रतनपुर
- 3- घासी पिता वेणा डांगी नि. रतनपुर
- 4- शम्भू पिता चम्पा डांगी नि. रतनपुर
- 5- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा रतनपुर की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

- 1- ईसरार, ईशाक, रूबीना पिता फतेह मोहम्मद मु. खेरूननिशा पत्नी फतेह मोहम्मद नि. रतनपुर

आ.न.	रकबा	लगान
252/1	0.56	10.64
1	0.56	10.64

- 2- परवीना, रवीना, टीना पिता शहजाद खां जुबेदा पत्नी शहजाद खां

आ.न.	रकबा	लगान
252/2	0.57	10.83
1	0.57	10.83

- 3- चुन्नीलाल पिता शंकर, नन्दा पिता नारायण, घासी पिता वेणा, शम्भू पिता चम्पा डांगी नि. रतनपुर

आ.न.	रकबा	लगान
252मी.	1.14	21.66
1	1.14	21.66

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



[Handwritten Signature]

जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी